अधिसूचना

कोविड–19 के बढ़ते संकमण को रोकने हेतु गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार सरकार के विशेष सचिव द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुपालन में पटना विश्वविद्यालय मुख्यालय, इसकी सम्बद्व इकाईयाँ, स्नातकोत्तर विभाग, महाविद्यालय, निदेशालय एवं संस्थान दिनांक 04.08.2020 से सशर्त्त खुलेंगे।

पदाधिकारियों, स्नातकोत्तर विभाग के अध्यक्षों, प्रधानाचार्यों, निदेशकों एवं प्रशाखा पदाधिकारियों का अपने कार्यालय आना बाध्यकारी होगा। वे अपने 50 प्रतिशत अधीनस्थ कर्मचारियों की प्रति कार्य–दिवस को उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे साथ ही, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्यालय/शाखाओं में फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग अवश्य हो। क्लास–रूम शिक्षण कार्य बंद रहेंगे किन्तु ऑन लाईन शिक्षण होगा।

यह आदेश दिनांक 16.08.2020 तक प्रवृत्त रहेगा।

कुलपति के आदेश से

31/7/2020 कुलसचिव

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

ज्ञाप संख्या– 2737/आर पटना, दिनांक 31.07.2020

प्रतिलिपि–01. संकायाध्यक्ष, सभी संकाय, पटना विश्वविद्यालय, 02. प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, सभी महाविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, 03. विभागाध्यक्ष, सभी स्नातकोत्तर विभाग, पटना विश्वविद्यालय, 04. निदेशक, सभी संस्थान, पटना विश्वविद्यालय, 05. मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, केन्द्रीय औषधालय, पटना विश्वविद्यालय, 06. सभी पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय, 07. प्रभारी पुस्तकालयाध्यक्ष, प पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय एवं 08. प्रशाखा पदाधिकारीगण, पटना विश्वविद्यालय, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/2020

कुलसचिव

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

31/07/2020